

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल०-101/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० जुबैरिया समर समीरा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटराकलॉ, मोहनियों, कैमूर द्वारा द्वितीय सतान के प्रसव हेतु दिनांक-01.05.2024 से 26.10.2024 तक कुल-179 (एक सौ उनासी) दिनों का उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

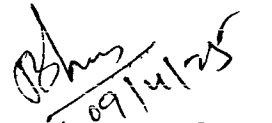
(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-101/2024- 594(2) पटना, दिनांक 15/4/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक--सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनियों, कैमूर/डा० जुबैरिया समर समीरा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटराकलॉ, मोहनियों, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


09/04/25
सरकार के अवर सचिव
E